


राजस्थान सरकार

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार

क्रमांक- चि०/०७/१३५

दिनांक 31/5/07

समस्त संयुक्त निदेशक (जोन),  
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,



विषय:- संस्थागत डिलिवरी केसेस को निःशुल्क दवाईयां उपलब्ध कराने वादत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मांगनीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय द्वारा सभी राजकीय चिकित्सा संस्थानों पर संस्थागत प्रसव के दौरान डिलिवरी केसेस के सभी मरीजों को दवाईयां निःशुल्क चिकित्सालय से उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है। अतः इस सम्बन्ध में सभी अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि सभी चिकित्सा संस्थानों पर जहां डिलीवरी (संस्थागत प्रसव) हो रहे है वहां पर निःशुल्क दवाईयों की उपलब्धता सुनिश्चित करे तथा मरीज से किसी भी प्रकार की दवाईयां बाजार से नही मंगवाई जावे।

चिकित्सक यथा संभव संस्थान पर उपलब्ध दवाईयां ही मरीजों को लिखे तथा संस्थान पर यदि कोई दवाई उपलब्ध नही है तब ही बाजार की दवाईयां लिखेगे। सम्बन्धित अधिकारी उक्त आदेश अपने स्तर से सभी चिकित्सा संस्थानों को प्रसारित करावे।

(आर.के. मीणा)  
प्रमुख शासन सचिव  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग  
राजस्थान जयपुर

क्रमांक- चि०/०७/१३५

दिनांक 31/5/07

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निजी सचिव, माननीय चिकि० एवं स्वा० मंत्री महोदय, राजस्थान।
2. निजी सचिव, माननीय चिकि० राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. सचिव, परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान।
4. प्रोजेक्ट डाइरेक्टर एनआरएचएम/आरएचएसडीपी।
5. समस्त निदेशक चिकि० स्वा० एवं परिवार कल्याण संदायें।

(डॉ. एम.एल. जैन)  
निदेशक (अस्प.प्रशा./एडमि.)  
निदेशालय चि० एवं स्वा० संदायें  
राजस्थान जयपुर

forwarded in original to all  
Cnc & Pnc HC for m/n. kindly take it as right  
Priority.

25/5/07  
GTC Mena